उपखण्ड ...
रूपनगढ़ (अजमेर)

28.04.23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम मोरडी में स्वयं के कब्जे-काश्त की कृषि भूमि ख.न. 74 रकबा 0.4611 हैक्टे० स्थित है। उक्त ख.न. की भूमि मौके पर कम है जिसकी पैमाईश नहीं हो रही है। प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु एक प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया हुआ है। अतः प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी मे पड़ौसी खातेदारान के साथ पत्थरगढ़ी करवाने हेतु आदेश प्रदान करावें तथा अप्रार्थी संख्या-01 को वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:24 IST
Reason: SelfAttested

From no 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

रामदेव बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा :- 212 R.T.Act नंबर 33 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की कृपा करावे। अप्रार्थी संख्या-01 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि ख.न. 74 रकबा 0.46॥ हैक्टेयर रामदेव पुत्र रूपा जाति जाट निवासी मोरडी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एवं नियमानुसार पत्थरगढी करवा दी जायेगी। प्रार्थी स्टे की आड़ मे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं बहस के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया। 20.4.23	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)